न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरण्या

प्रकरण सं0 : 176/2020

अनवान :

1. सकिन्द्र पुत्र हरिसिहं जाति जाट निवासी चोबारा त0 भादरा।
2. सुरेन्द्र पुत्र हरिसिहं जाति जाट निवासी चोबारा त0 भादरा।
3. विजयपाल पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी चोबारा त0 भादरा।

:- वादीगण

व ना म

1. अमीलाल पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी चोबारा त0 भादरा।
2. हरिसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी चोबारा त0 भादरा।
3. मोहरसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी चोबारा त0 भादरा।
4. जयदेई पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी चोबारा त0 भादरा।
5. मन्जु पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी चोबारा त0 भादरा।
6. सविता पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी चोबारा त0 भादरा।
7. मुकेश पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी चोबारा त0 भादरा।
8. अजयपाल पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी चोबारा त0 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनिया **: वादी**
वकील श्री उम्मेद मोठसरा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 21.1.2021**

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:11 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चोबारा के खाता सं 5/5 के खसरा सं 159 की 6.274है0 खसरा सं 161 की 0.076है0 कुल 6.350है0 एवं खाता सं 6/6 के खसरा सं 148 की 4.706है0 खसरा सं 217 की 2.125है0 कुल 6.831है0 प्रतिवादी सं 1 अमीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के दादा परदादा जीवणराम की खातेदारी हुआ करती थी। जीवणराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व

Scanned with CamScanner

...र्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा ... बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये ... तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता ... द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा ... किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सकिन्द्र पुत्र हरिसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी जमाबंदी चोबारा खाता सं 5/5 प्रदर्श 1 व खाता सं 6/6 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 व शपथ पत्र मय वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम चोबारा के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादी के परदादा जीवणराम से विरासतन प्राप्त होना दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में अमीलाल के वारिसान में इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। तथा पत्रावली में पेश जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी सं 2 व 3 के वाद भूमि के अलावा भी अन्य कृषि भूमि होना बताया गया है। इस प्रकार वाद भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी सं 8 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादी सं 1 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 8 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादी सं 1 व 2 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व वादी सं 3 तथा प्रतिवादी सं 8 सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:11 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

...क कलक्टर
...ट ट्रेक)भादरा

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चोबारा के खाता सं 5 ... के खसरा सं 159 की 6.274है0 खसरा सं 161 की 0.076है0 कुल 6.350है0 एवं खाता सं 6/6 के खसरा सं 148 की 4.706है0 खसरा सं 217 की 2.125है0 कुल 6.831है0 प्रतिवादी सं 1 अमीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं 1 अमीलाल का नाम कलमजन कर वादी सं 1 व 2 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व वादी सं 3 तथा प्रतिवादी सं 8 संयुक्त रूप से

Scanned with CamScanner

1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 8 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 सकिन्द्र व वादी सं 2 सुरेन्द्र संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा वादी सं 3 विजयपाल व प्रतिवादी सं 8 अजयपाल संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण) (फास्ट ट्रैक) भादरा R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 176/2020

1. सकिन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी चोवारा त0 भादरा।
2. सुरेन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी चोवारा त0 भादरा।
3. विजयपाल पुत्र गोहरसिंह जाति जाट निवासी चोवारा त0 भादरा।

:— वादीगण

ब नाम

1. अमीलाल पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी चोवारा त0 भादरा।
2. हरिसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी चोवारा त0 भादरा।
3. गोहरसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी चोवारा त0 भादरा।
4. जगदेई पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी चोवारा त0 भादरा।
5. मन्जु पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी चोवारा त0 भादरा।
6. सविता पुत्री गोहरसिंह जाति जाट निवासी चोवारा त0 भादरा।
7. मुकेश पुत्री गोहरसिंह जाति जाट निवासी चोवारा त0 भादरा।
8. अजयपाल पुत्र गोहरसिंह जाति जाट निवासी चोवारा त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चोवारा के खाता सं 5/5 के खसरा सं 159 की 6.274है0 खसरा सं 161 की 0.076है0 कुल 6.350है0 एवं खाता सं 6/6 के खसरा सं 148 की 4.706है0 खसरा सं 217 की 2.125है0 कुल 6.831है0 प्रतिवादी सं 1 अमीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं 1 अमीलाल का नाम कलमजन कर वादी सं 1 व 2 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व वादी सं 3 तथा प्रतिवादी सं 8 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के अनुसार [illegible] काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 7 [illegible] प्रतिवादी सं 8 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा [illegible] व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 सकिन्द्र व वादी सुरेन्द्र संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा वादी सं 3 विजयपाल व प्रतिवादी सं 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...पल संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-12-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner